न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 93/2018/अपील/एलआरएक्ट/बारां

दायरा दिनांकः 25.10.2015

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. मन्नीबाई पुत्री मौडूलाल उर्फ मोड्या, पत्नि सूरजमल, जाति बैरवा, निवासी पचेलकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

::: बनाम :::

1. प्रभुलाल पुत्र रतनलाल, जाति बैरवा, निवासी शिवाजी कोलोनी बारां, तहसील एवं जिला बारां
2. देवकरण पुत्र रामपाल, जाति मीणा, निवासी निवासी पचेलकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंता, जिला बारां

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री रघुवीर सिंह गौड़ अभिभाषक –अपीलांट
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक– रेस्पो0 क्र.1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 3

::निर्णय::

दिनांक 25.02.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 16/2015 बउनवान मन्नी बाई बनाम प्रभूलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, अंता द्वारा प्रकरण संख्या 32/08/135(2) एलआरएक्ट अन्तर्गत प्रार्थी/रेस्पो0 क्र. 1 प्रभुलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत प्रकरण में पंजीबद्ध दस्तावेज वसीयतनामा के आधार पर वसीयतकर्ता मोड्या पुत्र गोपी निवासी पचेरकला की ग्राम पचेरकलां में स्थित आराजी किता 5 रकबा 4.80 है0 में स्थित हिस्सा 1/2 पर वसीयत ग्रहिता प्रभलूाल पुत्र रतनलाल निवासी शिवाजी कॉलोनी बारां के हक मं नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 25.02.2009 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, अंता द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 25.02.2009 एवं आदेश की पालना में तस्दीकी इन्तकाल संख्या 753 दिनांक 05.03.2009 से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम

25/2/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.06.2017 पारित करते हुए वर्णित किया गया कि वर्तमान में विवादित आराजी के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण लंबित चल रहे है। अपीलांटा/रेस्पों० ने विवादित आराजी बाबत दावा उपखण्ड न्यायालय, अन्ता में कर रखा है, जो लंबित है। इसी आराजी बाबत 145 सीआरपीसी की कार्यवाहीं की अपील भी माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर में चल रही है तथा अपीलांटा ने सिविल न्यायालय में वसीयत निरस्तीकरण का दावा प्रस्तुत कर रखा है, जो भी अभी लंबित है। इस प्रकार विभिन्न न्यायालयों में पृथक–पृथक कार्यवाहीं लंबित चल रहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उक्त वसीयती आदेश से मृतक मोडूलाल उर्फ मोड्या की ग्राम पचेलकलॉ में अवस्थित आराजी को प्रभूलाल के खाते दर्ज करने के आदेश दिये है। चूंकि इन्तकाल समरी ट्रायल कार्यवाहीं है तथा दोनों पक्षों के मध्य वर्तमान में वसीयत निरस्तीकरण का वाद व हक घोषणा का वाद लंबित चल रहा है। इन वाद के चलते एवं वर्तमान परिस्थितियों के सम्प्रेषण में इन समरी ट्रायल कार्यवाहीं में पक्षकारान् के हक हकूक का निर्धारण करना या वादग्रस्त आराजी में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। प्रश्नगत भूमि के बाबत दोनो पक्षों में अधिकार दावों के निर्णय उपरान्त हीं तय होगें एवं इसी अनुरूप हीं विवादित आराजी बाबत राजस्व रेकार्ड की स्थिति में परिवर्तन होगा। इस प्रकार उक्तानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 12.06.2017 से खारिज की गयी।

2. न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा 16/2015 बउनवान मन्नी बाई बनाम प्रभूलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश कर कथन किया कि अपीलांट के पिता मोडूलाल उर्फ मोड्या पुत्र श्री गोपीलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी में वाके माल पचेरकलां, तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 960, 1153, 1202 1215 व 1281 कुछ 5 किता की खना 4.80 हेक्टर का 1/2 हिस्सा मोडूलाल की खातेदारी में दर्ज रहा है तथा उपरोक्त आराजी में निहित मोडूलाल का 1/2 हिस्सा भूमि को रेस्पो० नं 1 के खाते में इन्तकाल तस्दीक करते हुये दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवम् विधि के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विवादित भूमि में अपीलान्ट के पिता मोडूलल का 1/2 हिस्सा निहित है तथा मौडूलाल के मात्र अपीलान्ट एक ही पुत्री है तथा मोडूलाल के हिस्से की भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने की पूर्ण अधिकारी है। लेकिन रेस्पो० नं 1 ने बनावटी व फर्जी वसियत रेस्पो० नं 3 को बताते हुये मोडूलाल की हिस्से की सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा भूमि का इन्तकाल अपने नाम पर खुलवा लिया जो कि त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा बिना वारिसान की व उतराधिकारियों की जांच किये बिना ही उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो त्रुटि पूर्ण व अवैधानिक है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे यह पूरी तरह से साबित कर दिया था कि स्व० मोडूलाल के अपीलान्टा एक मात्र पुत्री है तथा उसको बिना सुनवाई का मौका दिये एवम् तथ्यों को साबित करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है, जो हर प्रकार से निरस्तनीय है लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टा के उक्त कथनों पर गौर किये बिना ही अपीलान्ट दवारा पेश की गई अपील को स्वीकार न कर खारिज करते त्रुटि की है। विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति है, जो अपीलान्ट के दादा स्वर्गीय गोपीलाल से विरासत में उसके दो पुत्र मोड्या व जगन्नाथ को प्राप्त हुई है, इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है तथा अपीलान्ट स्व० मौडूलाल की जायन्दा पुत्री है जिसको मोडूलाल की सम्पूर्ण सम्पति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त

25/2/2025
कोटा

है, जिसे एकाकी तौर पर मौडूलाल को सम्पूर्ण भूमि का वसियत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा अपीलान्ट कभी भी परीक्षण न्यायालय तहसीलदार अन्ता के समक्ष उपस्थित नहीं हुई न ही उसके बयान हुये न उसके किसी प्रकार की जिरह ही हुई, इस तथ्य की अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित कर दिया था कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार अन्ता में वसीयत जांच मु० संख्या 32/08 दिनाक 18.12.2008 को बयान गवाह मन्नीबाई जो पत्रावली में संलग्न है वह बयान अपीलान्ट का नहीं है न ही उसका अंगूठा निशानी है। लेकिन इस महत्व पूर्ण तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है जो हर प्रकार से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूरी तरह से साबित था कि विवादित आराजीयात पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत जायन्दा सन्तानों का प्रथम हक निहित होता है ऐसी अवस्था में पुश्तैनी सम्पति की वसियत नहीं की जा सकती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण के सम्बन्ध में जो नियम व कानून बनाये गये हैं उनका भी परीक्षण न्यायालय द्वारा पालना नहीं की जाने से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 753 को दिनांक 25.2.2009 को खारिज किया जाना चाहिये था। मृतक के वारिसान का प्रश्न वादग्रस्त है और परीक्षण न्यायालय द्वारा वारिसान के बारे में जांच किये बिना तथा उन्हें सूचना देकर सुनवाई, जवाब देही व आपतियों को पेश करने का अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है तथा ऐसी अवस्था में नामान्तरकरण को निरस्त कर जांच हेतु प्रकरण को प्रतिप्रषित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है, जो अधीनस्थ न्यायालय ने न कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हरदो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 अभिभाषक सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा बिना वारिसान की व उतराधिकारियों की जांच किये बिना ही उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे यह पूरी तरह से साबित कर दिया था कि स्व० मोडूलाल के अपीलान्टा एक मात्र पुत्री है तथा उसको बिना सुनवाई का मौका दिये एवम् तथ्यों को साबित करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है। विवादित आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है तथा अपीलान्ट स्व० मौडूलाल की जायन्दा पुत्री है जिसको मोडूलाल की सम्पूर्ण सम्पति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है, जिसे एकाकी तौर पर मौडूलाल को सम्पूर्ण भूमि का वसियत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा अपीलान्ट कभी भी परीक्षण न्यायालय तहसीलदार अन्ता के समक्ष उपस्थित नहीं हुई न ही उसके बयान हुये न उसके किसी प्रकार की जिरह ही हुई, इस तथ्य की अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी साबित कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूरी तरह से साबित था कि विवादित आराजीयात पुश्तैनी सम्पत्ति है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत जायन्दा सन्तानों का प्रथम हक निहित होता है ऐसी अवस्था में पुश्तैनी सम्पति की वसियत नहीं की जा सकती है। परीक्षण न्यायालय तहसीलदार अंता द्वारा दिनांक 25.02.2009 को आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट का पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी निर्णय दिनांक 12.06.2017 को निर्णय पारित करते समय वसीयत की जांच नहीं की गई। प्रभूलाल

रिश्तेदार नहीं है और ना ही अन्य कोई हित है। वसीयत प्रमाणित होने पर ही नामांतरकरण की कार्यवाही होनी चाहिए। वसीयत होने पर भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासत का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर हरदो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RBJ (15) 2008 Page No. 168** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.08.2008 को प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था। अपीलांट तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुई एवं दिनांक 18.12.2008 को अपीलांट मन्नी बाई के बयान भी हुए है। अतः अपीलांट मन्नी बाई की सुनवाई नहीं होने का कथन गलत है। मन्नी बाई की स्वीकारोक्ति है तथा अपीलांट वसीयत से सहमत थी एवं पूर्ण जानकारी थी। वसीयत साबित हुयी है तथा गवाहों के बयान हुए है। वसीयत की संपूर्ण रूप से जांच होने के उपरांत ही नामांतरकरण खोला गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2021(2) DNJ [Rev.] Page No. 1041, RRT 2019(2) Page No. 1118, RRT 2023(2) Page No. 1369, 2023(1) DNJ [Rev.] Page No. 103, RRD 14-01-2016 Page No.14, RLW 2001(1) Page No. 95, RRD 1993 Page no. 615** पेश किये।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली को अवलोकन करने से प्रकट होता है कि तहसीलदार, अंता द्वारा प्रकरण संख्या 32/08/135(2) एलआरएक्ट अन्तर्गत प्रार्थी/रेस्पो0 क्र. 1 प्रभुलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत प्रकरण में पंजीबद्ध दस्तावेज वसीयतनामा के आधार पर वसीयतकर्ता मोड्या पुत्र गोपी निवासी पचेरकला की ग्राम पचेरकलां में स्थित आराजी किता 5 रकबा 4.80 है0 में स्थित हिस्सा 1/2 पर वसीयत ग्रहिता प्रभलूाल पुत्र रतनलाल निवासी शिवाजी कॉलोनी बारां के हक में नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 25.02.2009 पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 12.06.2017 में वर्णित किया कि वर्तमान में विवादित आराजी के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण लंबित चल रहे है। अपीलांटा/रेस्पों० ने विवादित आराजी बाबत दावा उपखण्ड न्यायालय, अन्ता में कर रखा है, जो लंबित है। इसी आराजी बाबत 145 सीआरपीसी की कार्यवाहीं की अपील भी माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर में चल रही है तथा अपीलांटा ने सिविल न्यायालय में वसीयत निरस्तीकरण का दावा प्रस्तुत कर रखा है, जो भी अभी लंबित है। इस प्रकार विभिन्न न्यायालयों में पृथक–पृथक कार्यवाहीं लंबित चल रहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर उक्त वसीयती आदेश से मृतक मोडूलाल उर्फ मोड्या की ग्राम पचेलकलॉ में अवस्थित आराजी को प्रभूलाल के खाते दर्ज करने के आदेश दिये है। चूंकि इन्तकाल समरी ट्रायल कार्यवाहीं है तथा दोनों पक्षों के मध्य

वर्तमान में वसीयत निरस्तीकरण का वाद व हक घोषणा का वाद लंबित चल रहा है। इन राजस्व वाद के जैरकार होते हुए समरी ट्रायल कार्यवाहीं में पक्षकारान् के हक हकूक का निर्धारण करना या वादग्रस्त आराजी में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। प्रश्नगत भूमि के बाबत दोनो पक्षों के अधिकार दावों के निर्णय उपरान्त हीं तय होगें एवं इसी अनुरूप हीं विवादित आराजी बाबत राजस्व रेकार्ड की स्थिति में परिवर्तन होगा।

8. इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायालयों में राजस्व वाद में हक निर्धारण होने के आधार पर अपील खारिज की। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 के हक में रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा नामांतरकरण खुलना प्रकट होता है। उक्त वसीयत की जांच के दौरान अपीलांटा द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में बयान देना प्रकट होता है। अपीलांटा द्वारा इस तथ्य को गलत सिद्ध नहीं किया गया है। पक्षकारान के मध्य विभिन्न राजस्व न्यायालयों में वाद लम्बित है। पक्षकारों के हकों का निर्धारण नियमित वाद में ही होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण सं0 16/2015 बउनवान मन्नी बाई बनाम प्रभूलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2017 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

25/2/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा